मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 17, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-ए-3-6-2008-1-पांच (11), दिनांक 29 मार्च, 2008 तथा

(ख) क्रमांक एफ-3-64-2007-1-पांच (17), दिनांक 19 मई, 2008

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 504-एफ (2) 45-07-अड़तालीस, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 तथा

(ख) क्रमांक 708-एफ (2) 62-07-अड़तालीस, दिनांक 24 मई, 2008

पटल पर रखेंगे.

(4) कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2006-2007 का पचासवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2006-2007 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007 ;तथा

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक एफ-11-39-2005-एक-9-सू.अ.प्र., दिनांक 30 अगस्त, 2007 ;एवं

(ii) क्रमांक एफ-11-37-05-एक-9, दिनांक 10 मार्च, 2008 ,

पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार स्थित शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 122-बरघाट के सदस्य, डॉ. ढाल सिंह बिसेन को जुलाई, 2008 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अंचल सोनकर, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मनोहरलाल राठौर, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अठ्ठाईसवां, उन्तीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गलेथा हवेली के देवसिंह सिकरवार मोहल्ला की पेयजल समस्या दूर किये जाने,
(ख) ग्राम सुकलू का पुरा पंचायत बरोली में पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम भेदपुरा की नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम नेहरावली जोरा के बेहड़ कटावों को रोके जाने,
(ङ) ग्राम तेजसिंह का पुरा मोघना जवाहर में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम टिकटोला गुर्जर मजरा, रामसिंह का पुरा, देवीराम का पुरा व बगीया का पुरा मार्ग पर पुलिया बनाये जाने,
(छ) ग्राम खाण्डोली के मजरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ज) ग्राम कोकसिंह का पुरा खाण्डोली जौरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(झ) ग्राम छतरपुरा देवगढ़ में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ञ) ग्राम चेना मजरा स्लामपुरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ट) ग्राम विण्डवा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ठ) ग्राम निटहरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ड) ग्राम बलवंत का पुरा रिठौरा खुर्द में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ढ) ग्राम रायपुर जखौना से मजरा बाग का पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ण) ग्राम जगन्नाथ का पुरा सीहोरी के मजरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(त) ग्राम हरचंद बसई गांव के कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवाल निर्माण कराये जाने,
(थ) ग्राम हरचंद बसई गांव में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(द) ग्राम गढ़ी की प्राथमिक विद्यालय एवं अनुसूचित जाति बस्ती में हैण्ड पंप खनन कराये जाने,
(ध) ग्राम गढ़ी में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(न) ग्राम सिकरोदा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(प) ग्राम जतावर में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(फ) ग्राम हिगोनाकला में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ब) ग्राम हिगोना खुर्द में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(भ) ग्राम सागोरिया का पुरा देवरी में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(म) ग्राम जखोना गढ़ी में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण कराये जाने,तथा
(य) ग्राम बरौली से उम्मेदगढ़ वांसी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वन मंत्री का वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, दिनांक 15 फरवरी, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 418) एवं दिनांक 23 मार्च, 2006 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 1724) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

9. वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के आधिक्यों के विवरणों का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय	10. शासकीय विधि विषयक कार्य
30 मि.	(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(5) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008)पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(9) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008)पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
1 घन्टा	(11) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008)पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(12) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008)पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

11. संविहित संकल्प

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-ख तथा 6 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 504-एफ.(2)45-07-अड़तालीस, दिनांक 15 अप्रैल, 08 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 203, दिनांक 15 अप्रैल, 08 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है.".

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-ख के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम, 2000 में किए गये संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 708 -एफ.(2) 62-07-एक-अड़तालीस, दिनांक 24 मई, 08 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 258, दिनांक 26 मई, 08 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है. ".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 7 जुलाई, 2008